शिमला से प्रकाशित

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 50 अंक – 13 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 24 – 31 मार्च 2025 मूल्य पांच रूपये

विमल नेगी की मौत मामले में अभी तक पुलिस खाली हाथ

> देशराज की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसका कहीं भी उपलब्ध न होना बना समस्या

> यह देरी सीबीआई जांच के लिए कहीं आधार न बन जाये

शिमला/शैल। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर स्व. विमल नेगी की मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस को अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। क्योंकि इस मामले में एफ.आई.आर पुलिस ने कॉरपोरेशन के निदेशक देशराज के अतिरिक्त और किसी को नामत नामजद नहीं किया है। जबकि नेगी की पत्नी ने अपनी शिकायत कॉरपोरेशन के दो और अधिकारियों पर नामत: आरोप लगाये हैं। देशराज उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किये जाने के बाद पुलिस के हाथ नहीं आये हैं। पुलिस उनकी तलाश में सभी संभव ठिकानों पर दबिश दे रही है। कुछ हलकों में यह चर्चा है कि देशराज सर्वोच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत के लिये प्रयास करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पुलिस के हाथ नहीं आयेंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने देशराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुये यह कहा है कि As discussed here in above, the applicant is a senior officer of the HPPCL, and, the deceased was working in the same Department, under the direct control of the applicant. Therefore, certainly, the Investigating Agency would inquire the subordinate staff of the applicant, to verify the allegations, which, according to the complainant, had compelled the deceased to take the extreme step to end his life.

In case, the relief, as claimed in the application, is granted to the applicant, it will certainly cause an adverse impact upon his subordinates not to speak against their superior officer. Mere transfer of the applicant, from the said place, is not sufficient to create a sense of security amongst the persons, who will be inquired by the Investigating Agency.

Even otherwise, the custodial interrogation is more result-oriented than the investigation from a person, who is having the protection, under Section 482 of the BNS, in his favour.

इससे यह स्पष्ट हो जाता है की जमानत खारिज होने के बाद देशराज तक पुलिस का न पहुंच पाना और कई सवालों को जन्म दे जाता है। स्व. विमल के कंट्रोलिंग अधिकारी देशराज थे। यदि कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों का आचरण नेगी को मानसिक प्रताड़ना की और ले जा रहा था तो यह आचरण स्वभाविक रूप से किसी पारिवारिक कारण के लिए तो रहा नहीं होगा। सरकारी कामकाज में प्रताड़ना तभी हो सकती है यदि संबंधित कर्मी/अधिकारी को काम न आता हो या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नाजायज काम करने के लिये कहा जाता रहा हो। इसका खुलासा कॉरपोरेशन द्वारा अंजाम दिये जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा से ही संभव है। जब कॉरपोरेशन के खिलाफ एक पत्र बम वायरल हुआ था उसमें कॉरपोरेशन द्वारा निष्पादित करवायी जा रही शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना के कामकाज को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। स्मरणीय है कि इस परियोजना का कार्य 2012 में आवंटित हुआ था और यह 2017 – 18 में पूरा होना था। लेकिन पूरा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मार्च 2023 इस परियोजना के काम की एक समीक्षा बैठक में इस काम को जुलाई 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिये थे। इस समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये थे कि इसमें आ रही बाधाओं को एक माह के भीतर निपटाया जाये।

इस तरह परियोजना के निर्माण में देरी क्यों हुई और उस देरी के लिए निर्माता कंपनी कितनी जिम्मेदार रही है और कॉरपोरेशन का प्रबंधन कितना जिम्मेदार रहा है। इस देरी से कितना नुकसान प्रदेश को हुआ है। क्योंकि इस परियोजना का निर्माण एशियन विकास बैंक के कर्ज से हो रहा है। इसी तरह पेखूबेला की सौर ऊर्जा परियोजना पर उठते सवाल हैं। इस विषय में निश्चित रूप से एक गहन जांच से ही सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। बिजली विभाग के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में यह जांच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वाभिक है कि यदि कॉरपोरेशन का एक मुख्य अभियंता मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर अपना जीवन ही समाप्त करने के कगार पर पहुंच जाये तो कामकाज के वातावरण की स्थितियां निश्चित रूप से गंभीर रही होंगी।

इस प्रकरण में जब तक नामित अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं हो जाती है तब तक सही तथ्य सामने नहीं आयेंगे। देशराज के गिरफ्तारी में लग रहे समय के कारण पुलिस की जांच पर आशंकाएं आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। क्योंकि देशराज की गिरफ्तारी के बाद अन्य नामित की बारी आयेगी। ऐसे में इस प्रकरण के सीबीआई में पहुंचने की संभावनाएं प्रबल हो जायेगी।

क्या सक्सेना सरकारी गवाह बनेंगे सेवा विस्तार से उठी आशंकाएं

❖ सक्सेना आईएनएक्स मामले में पी. चितंबरम के साथ सहअभियुक्त हैं

❖ केन्द्र ने अक्तूबर 2024 की अधिसूचना को नजरअन्दाज करके दिया है यह सेवा विस्तार

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सरकार के आग्रह पर छः माह का सेवा विस्तार मिल गया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भाजपा की सरकार है। प्रदेश सरकार का केन्द्र सरकार पर यह लगातार आरोप रहा है कि केन्द्र प्रदेश को वांछित वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है और इसलिये प्रदेश सरकार को कर्ज पर आश्रित होना पड़ रहा है। प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा में भी पूरी मदद न करने का आरोप रहा है। राज्यसभा के चुनाव के दौरान प्रदेश सरकार को धन बल के सहारे गिराने का सबसे गंभीर आरोप लगा। क्योंकि इस चुनाव में छः कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। परिणाम स्वरुप कांग्रेस की सरकार होते हुये राज्यसभा भाजपा जीत गयी। धन बल के आरोप को प्रमाणित करने के लिये बालूगंज थाना में एक एफ.आई.आर. तक दर्ज हुई जो अभी तक लंबित चल रही है। ऐसे संबंधों के चलते यदि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देने के आग्रह को मान ले तो यह अपने में एक अलग इतिहास बन जाता है। क्योंकि इस सेवा विस्तार के लिए भारत सरकार को अपनी ही अक्तूबर 2024 की अधिसूचना को नजरअन्दाज करना पड़ा है। जिसका भारत सरकार की छवि पर निश्चित रूप से कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। बल्कि इस सेवा विस्तार को एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

क्योंकि प्रबोध सक्सेना पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के खिलाफ चल रहे आई.एन.एक्स. मीडिया मामले में सह अभियुक्त हैं। धन शोधन के इस मामले में चिदंबरम 105 दिन जेल में काट चुके हैं। उनका बेटा भी जेल जा चुका है। यह मामला सीबीआई अदालत में लंबित है। सक्सेना ने इस मामले में अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के कवर में अदालत से हर पेशी पर हाजिर होने से छूट ले रखी है। यह सब कुछ राज्य सरकार के संज्ञान में है। केन्द्र में कांग्रेस और मोदी सरकार के रिश्ते जिस तरह के हैं उनके परिदृश्य में पी. चिदंबरम के खिलाफ चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सरकार और कांग्रेस दोनों के लिये बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। सरकार यदि इस मामले में चिदंबरम को सजा दिलाने में सफल हो जाती है तो इसे पूरी कांग्रेस पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चिदंबरम का आरोप है कि उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण झूठा मामला बनाया गया है। ऐसे में यदि इस मामले का कोई सहअभियुक्त सरकारी गवाह बनकर चिदंबरम के खिलाफ ब्यान दे देता है तो मोदी सरकार के लिए यह एक बड़ी सफलता

शेष पृष्ठ 8 पर.........

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला में दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू) शिमला ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, शिमला में अपना दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दीं और उन्हें कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़इच्छाशक्ति से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने जीवन से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन कभी वकालत नहीं की। उन्होंने कहा कि राजनीति और समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी और राज्य के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में बजट सत्र के दौरान, राज्य विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश नशा निवारण अधिनियम और संगठित अपराध अधिनियम पारित किया। नशे की लत से जूझ रहे युवाओं के पुनर्वास और उनकी मदद के लिए सिरमौर ज़िला के कोटला बड़ोग में एक अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त ने छात्रों को अपने ध्येय को प्राप्त करने के दृष्टिगत दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कानून केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे वहन कर सकते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी

नितांत आवश्यकता होती है।

समारोह के दौरान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को कानून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज़ की मानद उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर 451 छात्रों को भी उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें बीए, एलएलबी पाठ्यक्रम के 114, बीबीए एलएलबी पाठ्यक्रम के 111 और एलएलएम के 211 छात्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 छात्रों को पी.एच.डी. की डिग्री प्रदान की गई।

इस अवसर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए छात्रों को सम्मानित भी किया गया। स्नातकोत्तर उपाधि के 2021 के ओवरऑल टॉपर सूर्य देव सिंह भंडारी, 2022 के लिए टिसी एनी थॉमस और 2023 के लिए निवेदिता शर्मा को संस्थापक कुलपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। 2018 बैच की शीनम ठाकुर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें के.के. लूथरा मेमोरियल गोल्ड मेडल क्रिमिनल लॉ, तरसेम कुमार स्वर्ण पदक सर्वश्रेष्ठ महिला टॉपर, श्याम सुंदर गोयल मेमोरियल गोल्ड मेडल स्नातक टॉपर, संस्थापक कुलाधिपति स्वर्ण पदक हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में, संस्थापक कुलपति स्वर्ण पदक सर्वश्रेष्ठ ओवरऑल टॉपर और संस्थापक कुलाधिपति फैलोशिप पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधि छात्र के रूप में जैसे पुरस्कार शामिल हैं।

इसके अलावा, अदिति शर्मा को 2018 के लिए न्यायमूर्ति धर्मपाल सूद स्वर्ण पदक संवैधानिक कानून में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान किया गया। लिपि आर्यन को 2019 के लिए के.के. लूथरा मेमोरियल गोल्ड मेडल आपराधिक कानून से सम्मानित किया गया। अंकिता शर्मा को 2019 के लिए तरसेम कुमार स्वर्ण पदक, श्याम सुंदर गोयल मेमोरियल स्वर्ण पदक और संस्थापक कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। हिया शर्मा को 2019 के लिए संस्थापक कुलाधिपति स्वर्ण पदक और संस्थापक कुलाधिपति फैलोशिप पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि संचित शर्मा को 2019 के लिए न्यायमूर्ति धर्मपाल सूद स्वर्ण पदक संवैधानिक कानून में उत्कृष्ट प्रदर्शन से सम्मानित किया गया।

समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति आर. महादेवन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. प्रीति सक्सेना और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने मनिकरण की घटना में छह लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के गुरूद्वारा मनिकरण साहिब के समीप भू-स्खलन और पेड़ गिरने की घटना के कारण छह लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस घटना में तीन लोग घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन कुल्लू को घटना स्थल पर तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतरीन उपचार और हर संभव सहायता प्रदान की जाए।

हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एचपीईआरसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एचपीएसईबीएल द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली की दरों से संबंधित टैरिफ आदेश जारी किया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने अधिकांश उपभोक्ता वर्गों के लिए बिजली दरों में कमी की है, जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। विशेष रूप से, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है, जिससे बिजली बिलों में कमी आएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की विस्तृत समीक्षा के बाद विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की सब्सिडी की घोषणा करेगी।

राज्यपाल ने धौलाकुंआ में नशा मुक्ति जागरूकता शिविर में भाग लिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य में बड़े नशा मुक्ति केंद्र की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए राज्य सरकार को इसे स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने नशे के विरूद्ध लड़ाई में प्रत्येक नागरिक से सैनिक के समान सतर्क रहने का आहवान किया ताकि इस बुराई को

अपने घरों और समाज में प्रवेश करने से रोका जा सके।

राज्यपाल ने सिरमौर जिला के धौलाकुंआ में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के खैरी अनुसंधान फार्म में आयोजित किसान मेला और नशा मुक्ति जागरूकता शिविर में यह बात कही। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन और आईसीएआर -केन्द्रीय पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने खैरी अनुसंधान फार्म का उद्घाटन किया तथा स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की नशामुक्ति जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के विरूद्ध इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और महिलाओं को सक्रिय योगदान देने का आहवान किया।

उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को नशा विरोधी शपथ पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। नशे का सेवन करने पर विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा पाकर उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल अभियान को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अध्यापक, अभिभावक और युवा अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर नशा मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्तिगत मामला ही नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई है जिससे परिवार और सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि और अन्य कार्यो पर निर्भर रहते हैं। नशा आर्थिक और सामाजिक पतन का कारण है। परिवार के किसी व्यक्ति और किसान के नशे की चपेट में आने से उसकी आर्थिकी, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के साथ-साथ उसका शारीरिक और मानसिक पतन होता है।

उन्होंने सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा नशा निवारण अभियान पर एक प्रस्तुति की भी समीक्षा की तथा प्रदर्शिनियों का अवलोकन और नमो ड्रोन दीदी परमजीत कौर के साथ संवाद भी किया।

इसके बाद उन्होंने अनुसंधान केंद्र परिसर में रूदाक्ष और सिंदूर के पौधे रोपित किए। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल ने किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

आईसीएआर-केन्द्रीय पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ के प्रधान विज्ञानी डॉ. संजीव वर्मा ने संस्थान की विभिन्न पहलों की जानकारी दी।

अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान ने क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान धौलाकुंआ द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को दी।

पुलिस विभाग से राधिका तौमर, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. नवदीप और जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने नशा निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अपने विचार साझा किए।

अनुसंधान केंद्र धौलाकुंआ की एसोशिएट निदेशक डॉ. प्रियंका ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्य एडस नियंत्रण समिति द्वारा चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

शिमला/शैल। राज्य एड्स नियंत्रण समिति हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट के सहयोग से 28 और 29 मार्च, 2025 को प्रदेश के सभी 14 कारागार के मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टैक्निशियन को एचआईवी/एड्स, यौन रोग, टी.बी. तथा हेपेटाइटिस की जांच एवं चिकित्सा तथा नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जेल के अंदर समस्त कैदियों को एचआईवी, टीबी, यौन रोग व हेपेटाइटिस की जांच एवं शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध करवाकर ही हम 95:95:95 का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 95:95:95 लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक एड्स को समाप्त करना है, जिसमें एचआईवी से पीड़ित 95 प्रतिशत लोगों को अपनी स्थिति की जानकारी देना, निदान किए गए 95 प्रतिशत लोगों को उपचार प्रदान करना, तथा उपचार प्राप्त करने वाले 95 प्रतिशत लोगों में वायरस दमन का लक्ष्य प्राप्त करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त कारागारों में सभी कैदियों की स्वास्थ्य जांच समय-समय पर की जा रही है और भविष्य में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य जांच से कोई भी छूटना नहीं चाहिए।

कांस्टेबल संजीव कुमार को वीरता पदक की सिफारिश करेगा पुलिस विभाग

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कांस्टेबल संजीव कुमार के नाम की सिफारिश पुलिस वीरता पदक पीएमजी के लिए करने का फैसला किया है, जो राष्ट्र और उसके नागरिकों की रक्षा में असाधारण साहस के कार्यो के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है।

चुनौतीपूर्ण स्थिति के दौरान संजीव कुमार द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों ने न केवल संभावित नुकसान को रोका, बल्कि बहादुरी और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की।

पीएमजी के लिए उनके नाम पर विचार करने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश पुलिस की वीरतापूर्ण कार्यो को मान्यता देने और सम्मानित करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। विभाग इस वीरता पदक पर आगामी विचार के लिए गृह मंत्रालय को औपचारिक रूप से सिफारिश प्रस्तुत करेगा। हिमाचल पुलिस अपने कर्मियों के बलिदान को स्वीकारने और उन्हें सम्मानित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। पुरस्कार सिफारिश के बारे में आगामी जानकारी नियत समय में साझा की जाएगी।

हिमाचल और तेलंगाना के मध्य सेली और मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने तेलंगाना सरकार के साथ जिला लाहौल-स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट सेली और 120 मेगावाट क्षमता की मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन

हस्ताक्षरित किये। यह पहली बार है कि प्रदेश के इतिहास में इस तरह की साझेदारी की पहल की गई है। यह कदम प्रदेश की अपार जल विद्युत क्षमताओं के दोहन में मील पत्थर साबित होगा।

इन समझौता ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री भाटी विक्रामारका मालु की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा राकेश कंवर तथा तेलंगाना सरकार की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप कुमार सुल्तानिया ने हस्ताक्षर किए।

यह दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार की जाएंगी और इनसे रोजगार के लगभग 5000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार, तेलंगाना सरकार ने अग्रिम प्रीमियम राशि के रूप में 26 करोड़ रुपये का भुगतान किया है तथा इन परियोजनाओं के आरंभ होने के उपरांत हिमाचल प्रदेश को कुल विद्युत उत्पादन में से शुरूआती 12 वर्षो तक 12 प्रतिशत, अगले 18 वर्षो तक 18 प्रतिशत और आखिरी 10 वर्षो तक 30 प्रतिशत मुफ्त बिजली दी जाएगी। 40 वर्षो की अवधि पूर्ण होने के उपरांत तेलंगाना सरकार इन दोनों परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश को सौंपेगी। तेलंगाना सरकार इन दोनों परियोजनाओं की लागत का 1.5 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा लागत का एक प्रतिशत इस क्षेत्र को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने पर व्यय करेगी। इन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को 10 वर्षो तक 100 यूनिट प्रतिमाह के समान वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री भाटी विक्रामारका मालु का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के मध्य यह साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराज्यीय सहयोग के नये युग की शुरूआत है। मुख्यमंत्री ने तेलंगाना सरकार को पावर बैंकिंग और ट्रेडिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के लोगों को जल विद्युत परियोजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित करने के साथ ही राज्य के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार को दोनों परियोजनाएं स्थापित करने में राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करेगी, ताकि इनका निर्माण तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जा सके। यह समझौते दोनों सरकारों के लिए लाभप्रद होंगे।

उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 11,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन किया जा चुका है लेकिन इसका अधिकांश लाभ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है और राज्य के जल संसाधनों का उपयोग प्रदेशवासियों की आर्थिक समृद्ध के लिए सुनिश्चित करेगी।

तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री मालु ने कहा कि तेलंगाना सरकार दोनों राज्यों की बढ़ती ऊर्जा मांग और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन 'तेलंगाना क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी नीति 2025' के अन्तर्गत राज्य के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाटी विक्रामारका मालु ने कहा कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है और यह समझौता ऊर्जा क्षेत्र में अन्तरराज्यीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री सुक्खू देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल

शिमला/शैल। प्रतिष्ठित समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में स्थान दिया है। उन्हें यह सम्मान सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो और राज्य सरकार की ग्रीन ऊर्जा पहलों के लिए प्रदान किया गया है।

समाचार पत्र ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा देने की पहल की सराहना की है। इसके अलावा, दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि, 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली की और उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि को भी उल्लेखनीय उपलब्धियों के रूप में दर्शाया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी प्रशंसा की गई है। विशेष रूप से कांगड़ा जिले में प्रस्तावित 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को उनकी दूरदर्शी सोच का उदाहरण बताया गया है।

समाचार पत्र ने खासतौर पर उल्लेख किया है कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में उनकी सरकार की आगामी योजनाओं का भी जिक्र किया गया है।

इस सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सहित कई प्रमुख हस्तियों के नाम भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए केडर सेपरेशन की अधिसूचना

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा निदेशालय डीएमई और स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय डीएचएस में कर्मचारियों के संवर्ग को अलग करने की अधिसूचना जारी की है। इस प्रक्रिया के तहत नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थियेटर सहायक, चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार संवर्ग चुनने का अवसर दिया गया, जिसमें 74.44 प्रतिशत कर्मचारियों ने डीएचएस को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से निर्धारित संरचना के अनुसार, 14,573 कर्मचारी डीएचएस में शामिल हुए हैं, जबकि 5,002 कर्मचारियों ने डीएमई को चुना है। राज्य सरकार अब दोनों निदेशालयों के लिए अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया संचालित करेगी, जिससे कर्मचारियों की संख्या संतुलित बनी रहे और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो।

यह निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के अनुरूप है। पिछले दो वर्षो में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं और आने वाले समय में स्वास्थ्य संस्थानों में पुरानी चिकित्सा उपकरणों को अत्याधुनिक तकनीक से बदला जाएगा, जिससे राज्य के लोगों को और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबधता से कार्य कर रही है और भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक सुधार जारी रखेगी।

20 अप्रैल तक नशे के नेटवर्क पर विस्तृत डोजियर तैयार करें पुलिस अधीक्षक: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर 'चिटा' के सप्लायर व उसके आदी सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद अभी तक किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण भी करेंगे।

नशे के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, सुक्खू ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए तथा नशे से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नशा माफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा तथा कारवाई के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पारित किया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है तथा इसके लिए डीसी को खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देने तथा मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देरी करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खंड स्तर पर अधिकारियों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा नियमित मासिक दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों में नशे के दुष्परिणामों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा जिम्मेदार नागरिकों को आकार देने में मदद करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए कहा। इसके अलावा, उन्होंने सभी डीसी को ब्लाक स्तर पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने 'विधवा और एकल नारी आवास योजना' और 'महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना' की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी डीसी को पात्र लाभार्थियों की पहचान में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द लाभ मिल सके। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी, सचिव आशीष सिंहमार और राजेश शर्मा मौजूद थे, जबकि डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा सहित सभी डीसी और एसपी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।

पर्यटन क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रदेश को दो प्रतिष्ठित पुरस्कार

शिमला/शैल। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप ने राज्य को दो श्रेणियों में सम्मानित किया है। दिल्ली

में आयोजित एक समारोह में बीड़-बिलिंग को एडिटर चॉइस बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और धर्मशाला को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की ओर से आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती ने ये पुरस्कार प्राप्त किए।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार पिछले दो वर्षो से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आगामी वर्षो में पर्यटन क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश मे आने वाले पर्यटकों को और बेहतर व अविस्मरणीय अनुभव मिल सके

सत्य की खोज करने वाले को धूल से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। ......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

2795 करोड़ के निवेश का हिसाब क्या है?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केन्द्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता देने तथा कर्ज लेने पर लगी बंदीशे हटाने की गुहार लगा चुके हैं। इस समय प्रदेश का कर्ज भार एक लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। इसी सरकार के कार्यकाल में यह कर्ज भार बढ़कर डेढ़ लाख करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति कब से बिगड़नी शुरू हुई है इसका इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। स्व. रामलाल ठाकुर के कार्यकाल में प्रदेश 80 करोड़ के सरप्लस में था। यह तथ्य प्रो. धूमल के पहले कार्यकाल में लाये गए श्वेत पत्र में दर्ज हैं। स्व. ठाकुर रामलाल के बाद 1977 में शान्ता कुमार के कार्यकाल में आये नीतिगत बदलाव में प्राइवेट सैक्टर को प्रदेश के विकास में भागीदार बनने के प्रयास हुये। इन प्रयासों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हुई। उद्योगों को आमंत्रित करने के लिये उन्हें हर तरह की सब्सिडी दी गयी। शान्ता काल में उद्योगों पर जो निर्भरता दिखाई गई वह आज दिन तक हर सरकार के लिये मूल सूत्र बन गया। राजनेताओं के साथ ही प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही ने भी स्वर मिला दिया है। किसी ने भी इमानदारी से यह नहीं सोचा कि उद्योगों के लिये प्रदेश में न तो कच्चा माल है और न ही पर्याप्त उपभोक्ता हैं। केवल सरकारी सहायता के सहारे ही प्रदेश में उद्योग आये। जैसे-जैसे सरकारी सहायता में कमी आयी तो उद्योगों का प्रवाह भी कम हो गया। इन्हीं उद्योगों की सहायता में प्रदेश का वित्त निगम और खादी बोर्ड जैसे कई अदारे खत्म हो गये। उद्योग विभाग के एक अध्ययन के मुताबिक प्रदेश में स्थापित हुये उद्योगों को कितनी सब्सिडी राज्य और केंद्र सरकार दे चुकी है उतना उद्योगों का अपना निवेश नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में आज भी यह उद्योग सरकार के बराबर रोजगार नहीं दे पाये हैं। जबकि हर सरकार अपने-अपने कार्यकाल में नई-नई उद्योग नीतियां लेकर आयी है।

हिमाचल में गैर कृषकों को सरकार की अनुमति के बिना जमीन खरीदने पर प्रतिबन्ध है। जहां-जहां उद्योग क्षेत्र स्थापित हुये थे वहां श्रमिकों और उद्योग मालिकों को आवास उपलब्ध करवाने के लिये भवन निर्माणों की नीति कब बिल्डरों तक पहुंच गयी किसी को पता भी नहीं चला। जबकि धारा 118 की उल्लंघना पर चार आयोग जांच कर चुके हैं और एक रिपोर्ट पर भी अमल नहीं हुआ है। 1977 के दौर में जो उद्योग आये थे उनमें से शायद एक प्रतिशत भी आज उपलब्ध नहीं हैं। पूरा होटल सरकारी जमीन पर बन जाने के बाद जब चर्चा उठी तो सरकारी जमीन का प्राइवेट जमीन के साथ तबादला कर दिया गया। लेकिन ऐसी सुविधा कितनों को मिली यह चर्चा उठाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आज ईमानदारी से सारी नीतियों पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। पिछली सरकार के दौरान एक हजार करोड़ निवेश ऐसे भवनों पर कर दिये जाने का आरोप है जो आज बेकार पड़े हैं यह आरोप लगा है। लेकिन इसी के साथ आज जो निवेश एशियन विकास बैंक के कर्ज के साथ किया जा रहा है क्या वह कभी लाभदायक सिद्ध हो पायेगा शायद नहीं। इसलिये आज हर सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि यह बढ़ता कर्जभार पूरे भविष्य को गिरवी रखने का कारण बन जायेगा।

आज जो कैग रिपोर्ट वर्ष 2023-24 की आयी है उसमें यह कहा गया है कि इस सरकार ने 2795 करोड़ रूपये कहां खर्च कर दिये हैं इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकेगा। कैग में पहली बार ऐसी टिप्पणी आयी है कि शायद यह निवेश उन उद्देश्यों के लिये खर्च नहीं किया गया है जिनके लिये यह तय था। कैग में यह टिप्पणी भी की गयी है कि 2023 में आयी आपदा के लिये सरकार ने 1209.18 करोड़ खर्च किया है जिसमें से केन्द्र सरकार ने 1190.35 करोड़ दिया है। आपदा राहत के इन आंकड़ों से सरकार के दावों और आरोपों पर जो गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाता है उसके परिदृश्य में राज्य सरकार केन्द्र सरकार से कैसे सहायता की उम्मीद कर सकती है। 2795 करोड़ का कोई हिसाब न मिलना अपने में प्रशासन पर एक गंभीर आरोप हो जाता है। एग्रो पैकेजिंग कॉरपोरेशन का एक समय विशेष ऑडिट करवाया गया था उस ऑडिट रिपोर्ट पर प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। क्या आज भी सरकार ऐसा करने का साहस करेगी? जब तक सरकार का वित्तीय प्रबंधन प्रश्नित रहेगा तब तक कोई सहायता मिल पाना कैसे संभव होगा।

इस्लामिक चरमपंथ का नया ठिकाना, तमिलनाडु में हिज्ब उत-तहरीर के मॉड्यूल का पर्दाफास

गौतम चौधरी

राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) ने अभी कुछ ही महीने पहले तमिलनाडु में एक नए आतंकवादी संगठन का पर्दाफास किया। यह आतंकवादी संगठन हिज्ब उत-तहरीर (एमयूटी) के नाम से अपना नया काम प्रारंभ किया है। इस मामले में इसी वर्ष इसके दो कुख्यात सरगना कबीर अहमद अलीयर और बावा बहरुद्दीन उर्फ मन्नई बावा को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर हिज्ब उत-तहरीर विचारधारा के प्रचार और गुप्त गैरकानूनी गतिविधियों के आयोजन का आरोप है।

अभिकरण की जांच में सामने आया कि आरोपी कट्टर इस्लामी विचारधारा से प्रभावित हैं और एक प्रदर्शनी के माध्यम से इस्लामी देशों की सैन्य ताकत को दर्शाने की योजना बना रहे थे। इस आयोजन का मकसद कथित रूप से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करना और हिंसक लड़ाई छेड़ना था।

इससे पहले, हिज्ब उत-तहरीर ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच में पाया कि हिज्ब उत-तहरीर एक अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी संगठन है, जिसका उद्देश्य इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना और अपने संस्थापक तकी-अल-दीन-अल-नभानी द्वारा लिखे संविधान को लागू करना है, जो सरिया कानून की गैर जरूरी व्याख्या पर आधारित है।

भारत सरकार ने अक्तूबर 2024 में एक अधिसूचना जारी कर हिज्ब उत-तहरीर और उसके सभी अनुषंगी संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। हिज्ब उत-तहरीर अब इस मामले से जुड़े अन्य सह-साजिशकर्ताओं, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और फंडिंग स्रोतों की जांच की जा रही है।

तमिलनाडु की यह घटना देश की सुरक्षा को चुनौती देता प्रतीत होता है। इसलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। तमिलनाडु के इस चरमपंथी इस्लामिक माडयूल ने साबित कर दिया है कि इस प्रकार की अदूरदर्शी विचारधारा का कहीं न कहीं कोई वजूद जरूर है, हमारे समाज और राष्ट्र दोनों के लिए खतरनाक है। हिज्ब उत-तहरीर मॉडयूल के उद्भेदन ने एक बार फिर नेत्रहीन विचारधाराओं के खतरों को प्रकाश में लाया है जो न केवल अव्यावहारिक हैं, बल्कि खतरनाक रूप से आधुनिक राष्ट्र-राज्य प्रणाली की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, कई व्यक्तियों को समूह (हिज़्ब उत तहरीर) से उनके कथित लिंक के लिए गिरफ्तार किया गया है। एनआइए की रिपोर्ट बताती है कि समूह वैश्विक खिलाफत स्थापित करना चाहता है। इस प्रकार का संगठन भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को क्षति पहुंचाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करेगा। विशेष रूप से भारत जैसे विविध और बहुसांस्कृतिक देश में इस प्रकार के संगठन की कोई भूमिका और गतिविधि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। यह एजेंसियों के लिए सतर्क रहने और दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, जो विशिष्ट समुदायों को लक्षित करने और अपने एजेंडों के लिए सदस्यों को भतह्र करने के लिए संकल्पित है।

वर्ष 1953 में स्थापित हिज्ब उत-तहरीर, एक विस्तारवादी वैचारिक समूह है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक राष्ट्र-राज्य प्रणाली को रीसेट करना और एक वैकल्पिक शासन मॉडल स्थापित करना है, जिसे अक्सर खलीफा के रूप में जाना जाता है। खिलाफत या खलीफा का विचार दुनिया भर में मुसलमानों के लिए एक एकीकृत बल के रूप में कुछ पल के लिए आकर्षक लग सकता है लेकिन आधुनिक विश्व में इसकी स्थापना कभी नहीं हो सकती है। यह समझना आवश्यक है कि मुस्लिम विद्वानों के बीच इसकी व्यावहारिकता और कामकाज के बारे में व्यापक असहमति है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि खलीफा प्रणाली ओटोमन साम्राज्य के दौरान अपने शीर्षबिंदु तक पहुंच गई, जो 1924 में ढहा दी गयी। कुछ अन्य विद्वान ओटोमन साम्राज्य को एक शाही शक्ति से ज्यादा नहीं मानते, जो पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों की तरह था। बता दें कि 1648 की वेस्टफेलिया संधि के बाद दुनिया में नए शासन प्रणाली का विकास हुआ और राष्ट्र-राज्यों को अलग तरीके से गठित किया गया है। यह प्रणाली समय के साथ मजबूत हो गया है और वैश्विक आदेश की आधारशिला बन गया है। इस प्रणाली को पूर्ववत करने का प्रयास एक समय कैप्सूल के माध्यम से ब्रह्मांड को रीसेट करने के समान है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक एकीकृत राज्य की अवधारणा, जो कई देशों में फैली हो, न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि संगठित भौतिक सीमाओं और संप्रभुता के सिद्धांतों के साथ भी मौलिक रूप से असंगत है। समूह की विचारधारा न केवल पुरानी है, बल्कि इसकी यह धारणा भी बहुत गलत है कि वैश्विक पुनर्स्थापन हासिल किया जा सकता है और दुनिया की सभी समस्याएं स्वाभाविक रूप से हल हो जाएंगी।

सच पूछिए तो वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। मुसलमान एक अखंड समूह नहीं हैं, वे पहचान, विश्वास प्रणालियों और सांस्कृतिक प्रथाओं की परतों को शामिल करते हैं। मुस्लिम दुनिया संस्कृतियों, भाषाओं, राजनीतिक प्रणालियों और विचारधाराओं में अपार विविधता को दर्शाती है। यह विचार कि एक एकल, केंद्रीकृत प्राधिकरण प्रभावी रूप से इस तरह की विशाल और विविध आबादी को नियंत्रित नहीं कर सकती है। यह एक सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा खतरनाक है। यह असंभव है। इसको पूरा करने के लिए जो औजार और हथियार अपनाए जा रहे हैं उससे महाविनाश के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सामान्य-सा प्रश्न है, क्या तुर्कीय अपनी भौतिक और राजनीतिक सीमा को समाप्त करेगा, क्या पाकिस्तान अपनी सीमा को समाप्त करेगा? सउदी अरब भी अपनी सीमा का समर्पण नहीं कर सकता है। इसके लिए उसने कई लड़ाई तो केवल तुर्कीय से लड़ी है। उसी प्रकार ईरान अपनी चौधराहट को कम नहीं कर सकता और मिस्र भी उसी प्रकार खड़ा है। ऐसे में खिलाफत की परिकल्पना कैसे संभव हो पाएगी?

इसलिए, तमिलनाडु में हिज्ब-उत-तहरीर मॉडयूल का भंडाफोड़ आत्मनिरीक्षण का विषय है और ऐसे मामलों की वैधता का पता लगाने के लिए सतर्कता और व्यावहारिक जांच बढ़ाने की जरूरत है। यह सच है कि ऐसी विचारधाराएं समाज में कपटपूर्ण तरीके से प्रवेश कर जाती हैं और यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी व्यक्तियों को भर्ती करने की उनकी क्षमता को उजागर करती हैं, जो पारंपरिक रूप से कट्टरपंथ से जुड़े नहीं हैं। तमिलनाडु, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण सांप्रदायिक वातावरण के लिए जाना जाता है, कट्टरपंथ के बारे में सोचते समय दिमाग में आने वाली पहली जगह नहीं है। फिर भी, यह तथ्य कि हिज्ब-उत-तहरीर कथित तौर पर वहां अपनी उपस्थिति स्थापित करने में कामयाब रहा, समूह के व्यक्तियों को प्रेरित करने और भर्ती करने की क्षमता का प्रमाण है, जो एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करता है। इस खतरे का मुकाबला करने की दिशा में पहला कदम यह होगा कि लोगों द्वारा देखी जाने वाली हानिकारक सामग्री को फ़िल्टर किया जाए तथा ऐसी विचारधाराओं का शिकार होने से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए।

एनआईए की गिरफ्तारियां किसी विचारधारा का आँख मूंदकर अनुसरण करने तथा उसके परिणामों की गंभीरतापूर्वक जांच किए बिना उसके खतरों को रेखांकित करती हैं। तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कथित तौर पर हिज्ब उत तहरीर के ब्यानबाजी से प्रभावित किया गया था, जो महज एक मात्र यूटोपियन दावा है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए एक यथार्थवादी रोडमैप प्रदान करने में यह विफल रहा है। एक अव्यावहारिक विचारधारा का यह अंधा पालन न केवल व्यक्तियों को जोखिम में डालता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करता है। राष्ट्र-राज्य का युग संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता है, जहां प्रत्येक देश को बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वयं शासन करने का अधिकार है। यह प्रणाली, हालांकि परिपूर्ण नहीं है, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से बड़े पैमाने पर संघर्षों को काफी हद तक रोका है। हालांकि, हिज्ब उत तहरीर की तरह विचारधाराएं, जो राष्ट्र-राज्य प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश करती हैं, इस नाजुक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। ऐसी विचारधाराओं का आँख मूंदकर अनुसरण करने से कई खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे घातक परिणाम उन समुदायों का अलगाव और विभाजन है, जिनका प्रतिनिधित्व ये समूह करने का दावा करते हैं। ऐसे समूह से जुड़ना जो शांति और वैध शासन के सिद्धांतों के विपरीत है, इसे मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने का एक षडयंत्र समझना चाहिए।

इस तरह की अव्यवहारिक संबद्धता का एक और परिणाम एक राष्ट्र की प्राकृतिक सीमाओं के भीतर व्यापक हिंसा और संघर्ष हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास इस बात के उदाहरणों से भरा हुआ है कि हिंसा और संघर्षों ने राज्यों, विस्थापित आबादी को कैसे विभाजित किया है और विशाल मानवीय पीड़ा का कारण बना है। आईएसआईएस ही इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस अभियान में कोई दूसरा समुदाय नहीं मारा गया और न ही विस्थापित हुई। आईएसआईएस के कारण केवल और केवल मुसलमान ही विस्थापित हुए और मारे गए। मुसलमानों को ही भारी त्रसदि का सामना करना पड़ा।

व्यक्तियों, विशेष रूप से युवा लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन विचारधाराओं की आलोचनात्मक जांच करें जिनके वे संपर्क में हैं और उनकी व्यवहार्यता और परिणामों पर सवाल उठाएं। अंत में, एक बेहतर दुनिया की खोज वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी ऐसी चीज के पालन में जो शांति और व्यवस्था के विपरीत हो जिस पर वर्तमान दुनिया बनी हुई है। आलोचनात्मक सोच और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, जहां व्यक्तियों को निर्णायक और तर्कसंगत वैचारिक दृष्टिकोण तक पहुंचने के लिए विचारों और विचारधाराओं पर सवाल उठाने, बहस करने और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तभी हम एक ऐसी दुनिया बनाने की उम्मीद कर सकते हैं जो न केवल शांतिपूर्ण हो बल्कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान भी हो।

घुमराला महिला दुग्ध उत्पादक केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख लीटर से अधिक दूध का किया विक्रय

शिमला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का लाभ सहकारी सभा समितियों तक पहुंच रहा है। दूध के दाम में की गई ऐतिहासिक वृद्धि से दुग्ध उत्पादक खुश हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ ही दूध का उत्पादन भी उत्तरोत्तर बढ़ा है।

सराज विधानसभा क्षेत्र की महिला दुग्ध उत्पादक एवं क्रय विक्रय सहकारी सभा समिति (घुमराला) जरोल दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। समिति के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में अधिकतर लोग खेती-बाड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें पशुपालन भी उनके जीवन का अहम हिस्सा है। हर घर-द्वार में दूध का उत्पादन अच्छे स्तर पर होता है परंतु दूध की मांग गांव स्तर पर कम होती है। इसी को देखते हुए वर्ष 2003 में गांव के कुछ लोगों के सहयोग से घुमराला महिला उत्पादक क्रय एवं विक्रय सहकारी सभा समिति का गठन किया गया।

पहले दिन मात्र 7 लीटर दूध एकत्रित किया गया। उस समय यह एक मुश्किल दौर लग रहा था, परंतु समिति ने कार्य करना निरंतर जारी रखा और आज यह सहकारी सभा सराज विधानसभा क्षेत्र में दुग्ध उत्पादक के रूप में बेहतरीन कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि दूध उत्पादक केंद्र में काम करते हुए उन्हें लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। पूर्व में सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष में दूध के दाम में लगभग 1 से 2 रुपये वृद्धि की जाती थी, परंतु वर्ष 2022 से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार द्वारा किसानों, बागवानों व दुग्ध उत्पादकों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों के हितों को देखा व उनके दर्द को समझा, उन्हें मालूम है कि एक पशुपालक को दूध के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पशु आहार, फीड में खर्च काफी बढ़ गए हैं। इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष में दूध के मूल्य में एक साथ 13 रुपये की वृद्धि की तथा इस वर्ष बजट भाषण में उन्होंने दूध के मूल्य में 6 रुपये की और वृद्धि की, जिससे आज के समय में गाय के दूध का समर्थन मूल्य 51 रुपये तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपए हो गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का अपनी और सहकारी सभा की ओर से धन्यवाद किया।

सहकारी सभा के प्रधान दुग्ध उत्पादक कल्याण सिंह, दुर्गी देवी गांव चापड, शयाणु राम गांव चापड, नैणी देवी गांव बजौण लाभार्थियों ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उप प्रधान कंम्पा देवी, सदस्य हेमलता का कहना है कि उनके गाय के दूध में फैट की मात्रा काफी बेहतर पायी गयी जिससे उन्हें आज भी प्रति लीटर दूध के दुग्ध केंद्र में 58 से 60 रुपये प्राप्त होते हैं।

सुशील कुमार ने बताया कि इस केंद्र में लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर से लोग दूध लाते हैं। वर्ष 2003 में 7 लीटर से शुरू किए गए इस दुग्ध उत्पादक केंद्र में गत वर्ष 2024 में जून-जुलाई के पीक सीजन में प्रतिदिन 1750 लीटर दूध पशुपालकों से प्राप्त हुआ। यह केंद्र अभी तक 824 पशुपालकों को अपने साथ जोड़कर लाभ प्रदान कर चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में घुमराला दुग्ध केंद्र द्वारा 3 लाख लीटर से अधिक दूध इकत्र किया गया, जिसका मूल्य 1 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग होता है। केंद्र की अभी तक कुल बिक्री आय 3 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है।

उन्होंने बताया कि दुग्ध क्रय विक्रय केंद्र को आगे ले जाने के लिए सभा समिति द्वारा केंद्र में पनीर, खोआ, घी, दही, कुल्फी भी बनाना आरंभ कर दिए गए हैं, ताकि दुग्ध केंद्र और बेहतरी से कार्य करे और केंद्र की आय में भी वृद्धि हो।

उन्होंने बताया की सहकारी सभा समिति द्वारा लाभांश का आवंटन सदस्यों में करने के साथ ही प्रस्ताव के माध्यम से 40 हज़ार रुपये सभा समिति के पास नकद में रखे जाते हैं ताकि किसी किसान दुग्ध उत्पादक को जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की जा सके। चूंकि दूध उत्पादक व्यवसाय में एक खेती-बाड़ी से जुड़ा व्यक्ति आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं होता और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की जा रही है।

आपदा न्यूनीकरण क्षेत्र में मीडिया व जनसंचार को निभानी होगी अहम भूमिका

राजन कुमार शर्मा

प्राचीन काल से ही संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हो चुकी थी, इसकी सर्वप्रथम शुरुआत करने का श्रेय महर्षि नारद जी को जाता है, जो कि इस क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व कौशल ज्ञान से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टीक माध्यम से पहुंचने के लिए जाने जाते रहे हैं। मीडिया जनता और आपातकालीन संगठनों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है और आपदाओं से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया आपदाओं के बारे में जनता को शिक्षित करके, खतरों की चेतावनी देकर, प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करके और उसे प्रसारित करके, सरकारी अधिकारियों, राहत संगठनों और जनता को विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में सचेत करके और निरंतर सुधार के लिए आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में चर्चाओं को सुविधाजनक बनाकर आपदाओं के प्रबंधन में सहायता करता है। मीडिया को इन भूमिकाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए, मीडिया और आपदा प्रबंधन संगठनों के बीच सीधे और प्रभावी कार्य संबंध स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। अनुभव से पता चलता है कि आपदा आने से पहले मीडिया के साथ नियमित बातचीत, सूचना के प्रभावी प्रवाह में सहायता करती है और आपदा के बाद प्रभावी कार्य संबंधों के लिए आधार तैयार करती है। आपदा प्रबंधन में-'सही समय पर सही जानकारी' की आवश्यकता सदियों से नहीं बदली है। लोगों को आपदा से पहले चेतावनी की आवश्यकता होती है और फिर, उसके बाद, हताहतों, क्षति, आवश्यक आपूर्ति और कौशल, इन संसाधनों को लाने के सर्वोत्तम तरीके, उपलब्ध और प्रदान की जा रही सहायता आदि के बारे में डेटा की आवश्यकता होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां-सार्वजनिक शिक्षा और प्रारंभिक चेतावनियों के तेज़, व्यापक प्रसार ने हज़ारों लोगों की जान बचाई। उदाहरण के लिए, नवम्बर 1970 में, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक उच्च ज्वार के साथ मिलकर दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में आया, जिससे 300,000 से अधिक लोग मारे गए और 1.3 मिलियन बेघर हो गए। मई 1985 में, एक समान चक्रवात और तूफ़ान की लहर ने उसी क्षेत्र को प्रभावित किया। 'इस बार-आपदा चेतावनियों का स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रचार-प्रसार हुआ और लोग उनका सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार थे। हालांकि, जीवन की हानि अभी भी अधिक थी, लेकिन 1970 की तुलना में 10,000 या लगभग 3 प्रतिशत थी। जब मई 1994 में बांग्लादेश के उसी क्षेत्र में विनाशकारी चक्रवात आया, तो 1,000 से भी कम लोग मारे गए। भारत के आंध्र प्रदेश में 1977 के चक्रवात ने 10,000 लोगों की जान ले ली, जबकि 13 साल बाद उसी क्षेत्र में आये एक ऐसे ही तूफ़ान ने केवल 910 लोगों की जान ली। नाटकीय अंतर-इस तथ्य के कारण था कि निचले इलाकों में लोगों को सचेत करने के लिए रेडियो स्टेशनों से जुड़ी एक नई पूर्व-चेतावनी प्रणाली लागू की गई थी। मीडिया के दो मुख्य प्रकार हैं-1. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 2. प्रिंट मीडिया। रेडियो (सैटेलाइट और वायरलेस दोनों) और टेलीविजन (केबल, डीटीएच आदि) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जबकि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल प्रिंट मीडिया का हिस्सा हैं। ज्ञान जीवन रक्षक हो सकता है, खास तौर पर आपातकालीन स्थिति में, और लोगों को जो कुछ भी पता है, वह सब मास मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। दुनिया में सबसे उन्नत सुनामी चेतावनी प्रणाली के साथ, जापान वैश्विक मानक स्थापित करने वाला देश है। लेकिन मार्च 2011 में आई सुनामी में मरने वालों की संख्या 20,000 के करीब होने के कारण, यह जोखिम की तैयारी को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श में भी सबसे आगे है।आपदाओं के सभी चरणों में मीडिया की भूमिका होती है। वास्तविक खतरे की घटनाओं के दौरान मीडिया सबसे अधिक प्रभावित होने वाले कमजोर समुदायों तक चेतावनियों और सूचनाओं के तेजी से प्रसार में एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया भागीदार होता है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (राज्य ईओसी) नेटवर्क और निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) की स्थापना के साथ यह भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी।

आपदा आने के बाद, समाचार मीडिया प्रभावी संचार चैनल प्रदान कर सकता है और प्रभावित क्षेत्रों पर किसी घटना के प्रभाव की तस्वीर तेजी से प्रदान करने में सहायता कर सकता है, जिससे अधिकारियों को बचे हुए लोगों तक सहायता और बचाव प्रयासों को अधिक कुशलता से निर्देशित करने में मदद मिलती है।

आपदा की तैयारी में मीडिया की भूमिका में शामिल हैं-जनता की सुरक्षा के लिये विश्वसनीय जानकारी का प्रसारण, जनता से/तक जानकारी का संग्रह और वितरण, लेकिन सूचना को विश्वसनीय और भरोसेमंद होने के लिए पत्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी अन्य सूचना स्रोत के समान सत्यापन की आवश्यकता होती है। प्रसारण मीडिया आपदाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने, खतरों की चेतावनी देने, प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने, सरकारी अधिकारियों, राहत संगठनों और जनता को विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में सचेत करने में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है, और आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा को सुविधाजनक बनाना। आपदा न्यूनीकरण में मीडिया एक अनूठी भूमिका निभाता है। हालांकि मीडिया और आपदा न्यूनीकरण संगठनों के उद्देश्य समान नहीं हैं, लेकिन दोनों की स्वतंत्रता और अखंडता से समझौता किए बिना, जनता तक ऐसी जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे कई लोगों को अपनी जान बचाने में मदद मिलेगी। अतः अंत में यह कहना उचित होगा कि मीडिया और आपदा विशेषज्ञों के लिए आपसी हितों का समर्थन करने और, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के जोखिमों को कम करके विश्व समुदाय की सेवा करने के लिए एक साथ काम करने का बहुत बड़ा अवसर मौजूद है।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में 1043 आवेदन स्वीकृत 700 मामले विभागीय प्रक्रिया में

राकेश कुमार
सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र को दिए जा रहे विशेष अधिमान से समस्त वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं सुनिश्चित बनाने को लेकर कार्यान्वित की जा रही महत्वकांक्षी 'इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना' ने ऐसे परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन के साथ उनके बच्चों को उन्नति एवं तरक्की का एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाया है, जो अपने आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते शिक्षा-स्वास्थ्य-पोषण के लिए अन्य पारिवारिक सदस्यों के मोहताज थे।

इंदिरा गाँधी सुख शिक्षा योजना के लाभ

योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को प्रति माह एक हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

18 से 27 वर्ष आयु तक के विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश के किसी भी राजकीय संस्थान में डिग्री-डिप्लोमा या विभिन्न व्यावसायिक पाठयक्रमों के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। साथ में हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों को पीजी शुल्क के रूप में तीन हजार की राशि प्रतिमाह उपलब्ध करवाने का भी विशेष प्रावधान है।

योजना की पात्रता एवं मापदंड

आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी तथा वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में पिता का मृत्य प्रमाणपत्र, अभिभावक का विकलांगता प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र, हिमाचली प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, परिवार नकल इत्यादि ।

योजना से लाभ लेने के लिए सम्पर्क अधिकारी

पात्र आवेदक योजना से लाभ लेने के लिए आंगनबाडी कार्यकर्त्ता, सुपरवाइजर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है ।

ज़िला चम्बा में योजना का हो रहा है प्रभावी कार्यान्वयन

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास कमल किशोर शर्मा बताते हैं कि चम्बा ज़िला में 'इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना' योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। योजना के तहत 1043 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। साथ में 700 के करीब मामले विभागीय प्रक्रिया में हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए पुरस्कार योजना शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई।

उच्च शिक्षा निदेशालय अब महाविद्यालयों के साथ-साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा। यह पुनर्गठन सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और दक्षता में सुधार करना है।

मंत्रिमंडल ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, हिमाचल नियम, 2011 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया ताकि पांचवीं और आठवीं कक्षा के आखिर में परीक्षा आयोजित करने के प्रावधान शामिल किए जा सकें। यदि विद्यार्थी प्रमोशन के मापदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उस स्थिति में उन्हें परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 टाइप-1 इलेक्ट्रिक बसों तथा 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी है। इससे परिवहन सेवा को अधिक सुलभ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया। इस योजना के तहत, छह श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आईटीआई स्तर के लिए तीन पुरस्कार, अनुसंधान उत्कृष्टता और नवाचार पुरस्कार डिग्री स्तर और उद्योग समन्वय पुरस्कार बहुतकनीकी और आईटीआई के लिए दो-दो पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बहुतकनीकी स्तर, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक फार्मेसी कॉलेज स्तर और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर के लिए एक-एक पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान एवं विकास, सामुदायिक जुड़ाव और आउटरीच, प्रायोजित अनुसंधान तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग में नामांकितों के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे परित्यक्त बच्चों को हिमाचली प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से ये बच्चे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

बैठक में राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए नए वाहन खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के दृष्टिगत एचपीपीसीएल को सरकारी गारंटी प्रदान करने की भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की सेवाओं की सराहना की जो इस माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एचपीएसईडीसी प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशेः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश

राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निगम को प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम को विदेशों में रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था विकसित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में एमिग्रेशन एक्ट, 1983 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया करवाने तथा विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए निगम विदेश मंत्रालय में प्रोटैक्टर जनरल ऑफ एमिग्रेंट्स, नई दिल्ली के कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे।

निदेशक मंडल ने समग्र शिक्षा अभियान के कार्य को जारी रखने को भी मंजूरी दी।

बैठक में एचपीएसईडीसी में जेओए आईटी के दो पद तथा मल्टी टास्क वर्कर के दो पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

पोस्ट कोड 928 के तहत स्टेनो टाइपिस्ट के 66 पदों की भर्ती का परिणाम घोषित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग एचपीआरसीए ने पोस्ट कोड 928 के तहत स्टेनो टाइपिस्ट के 66 पदों की भर्ती के लिए अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों ने इन पदों को भरने के लिए सिफारिश की थी जिसके लिए 1 दिसंबर, 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था।

इनमें सामान्य श्रेणी अनारक्षित के 16 पद, सामान्य श्रेणी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के सात पद, सामान्य श्रेणी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित का एक पद, सामान्य श्रेणी पूर्व सैनिकों के आश्रित के आठ पद, अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के 11 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल के पद, अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व सैनिकों के आश्रित के दो पद, अनुसूचित जाति अनारक्षित के 11 पद, अनुसूचित जाति पूर्व सैनिकों के आश्रित के तीन पद, अनुसूचित जनजाति बीपीएल का एक पद और अनुसूचित जनजाति पूर्व सैनिकों के आश्रित का एक पद शामिल हैं।

पोस्ट कोड 928 के तहत स्टेनो टाइपिस्ट के 66 पदों में से 15 पद सक्षम उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रखे गए हैं। लिए विज्ञप्ति परीक्षा परिणाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www.hprca.hp.gov.in.पर भी उपलब्ध है।

ग्रीन हिमाचल विज़न के साथ प्रदेश सरकार सत्त विकास को दे रही बढ़ावाः राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया आईटीपीआई द्वारा 'प्लानिंग स्टैटर्जीज फॉर प्लान्ड डवेल्पमेंट ऑफ हिली एरियाज़' विषय पर आयोजित नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में सतत् विकास लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की पहचान हरित आवरण है। प्रदेश सरकार ग्रीन हिमाचल विजन के साथ सतत् विकास को बढ़ावा प्रदान कर रही है। समय के साथ-साथ प्रदेश में शहरों और कस्बों का स्वरूप बदला है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य भौगोलिक दृष्टि से देश के अन्य राज्यों से अलग है। हिमाचल प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से एक संवेदनशील राज्य है। इसके दृष्टिगत राज्य में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्नोक्रेट और प्लानर वास्तव में राष्ट्र के निर्माता हैं।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले। सरकार द्वारा इको टूरिज्म सोसायटी गठित की गई है जो इको टूरिज्म साइट्स का संचालन करेगी। सरकार ने इन गतिविधियों के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहनों के संचालन के साथ-साथ हवाई सेवाओं और रोप-वे की संभावनाओं को विस्तार प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे को विस्तार प्रदान कर रही है। शिमला शहर में यातायात की समस्या से निजात दिलाने और कार्बन फुट प्रिंट कम करने के लिए 1,546 करोड़ रुपये की 14.79 किलोमीटर लम्बी रोप-वे की शहरी परिवहन परियोजना को साकार रूप प्रदान किया जाएगा।

राजेश धर्माणी ने आईटीपीआई के विभिन्न प्रकाशनों और जीत कुमार गुप्ता द्वारा लिखित 'मेकिंग हिल एरियाज ग्रेट प्लेसिस टू लिव' किताब का विमोचन भी किया।

निदेशक टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग कमल कांत सरोच ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिले बहुमूल्य सुझावों से सतत् विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

आईटीपीआई के अध्यक्ष एन.के. पाटिल ने कहा कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास महत्त्वपूर्ण है। जीआई और ड्रोन टैक्नोलॉजी इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

आईटीपीआई के महासचिव वी.पी. कुलश्रेष्ठ ने मुख्यातिथि और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया।

इस अवसर पर आईटीपीआई के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय चौप्टर के अध्यक्ष जनरल प्रदीप ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के टाउन प्लानर्ज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

राज्य चयन आयोग पोस्ट कोड-965 के पदों को पुनर्विज्ञापित करेगा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर पूर्व में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2022 में विज्ञापन संख्या 38-2/2022 दिनांक 27 मई, 2022 के अनुसार पोस्ट कोड-965 के तहत जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट के अनुबंध आधार पर 319 पदों पर भती के लिए जारी किए गए विज्ञापन को प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया है।

चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने जानकारी दी है कि ये पद विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में भरे जाने थे। अब इन पदों को पुनर्विज्ञापित किया जाएगा क्योंकि विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से और पदों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इन पदों को जोड़ने के बाद जल्द ही फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे प्रदेश के और युवाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवाई गई फीस वापस की जाएगी। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा।

पोस्ट कोड-939 के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को 5 अप्रैल को आयोग के कार्यालय पहुंचने के निर्देश

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने उन सभी 148 उम्मीदवारों को 5 अप्रैल, 2025 को प्रातः 10 बजे आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश जारी किए हैं जिनकी नियुक्ति पोस्ट कोड-939 के अंतर्गत एचपीएस ईबीएल को अनुशंसित की गई है।

आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि इन उम्मीदवारों को आयोग के कार्यालय इसलिए आने के निर्देश दिए गए हैं ताकि संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों को आगे की संस्तुति के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकें। अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को अपना विकल्प चुनने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि वह पोस्ट कोड-939 के अंतर्गत उक्त पद को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है। उसके बाद अपेक्षित बोर्डों अथवा निगमों को उनके नाम की सिफारिश नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीवारों का विवरण आयोग की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा सभी उम्मीदवारों को उनके ई-मेल के साथ-साथ मोबाइल नम्बर के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

शिक्षा सुधारों के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

शिमला/शैल। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की

उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव राकेश कंवर और संगठन की ओर से यूनेस्को निदेशक एवं प्रतिनिधि टिम कर्टिस तथा चीफ ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशलिस्ट जॉयस पोआन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इसके तहत यूनेस्को हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करेगा जिसके अन्तर्गत प्रदेश में शिक्षा पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली तथा विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल में निपुण करने सहित उनमें रचनात्मकता, सहयोग और संचार जैसी क्षमताएं विकसित की जाएंगी। शिक्षा को समावेशी, सतत् और भविष्योन्मुखी बनाया जाएगा।

समझौता ज्ञापन के तहत ग्रीन एजुकेशन पहल पर विशेष बल देते हुए पर्यावरण के बारे में जागरूकता और सतत् विकास को एकीकृत कर विद्यालयों के पाठयक्रमों में शामिल किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने का कौशल मिले। इसके अतिरिक्त खेलों का समावेश कर विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार डिजिटल लर्निंग का विस्तार करते हुए सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदल रही है और प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को इंगित करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार भविष्य आधारित कौशल और वैश्विक स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रति प्रमुखता से कार्य कर रही है।

निदेशक उच्च शिक्षा डॉ अमरजीत शर्मा और निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा आशिष कोहली तथा अन्य गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्राकृतिक खेती ही टिकाऊ भविष्य: नेक राम शर्मा

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में एक दिवसीय क्षेत्रीय प्राकृतिक खेती परामर्श और कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के 500 से अधिक किसान, वैज्ञानिक, कृषि उद्यमी और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। यह परामर्श विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना और प्राकृतिक खेती प्रथाओं के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना था। ज्ञान-साझाकरण, नीति संवाद और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देकर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को पारंपरिक रसायन-आधारित कृषि के लिए एक टिकाऊ और व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित करना था।

अपने उद्घाटन भाषण में, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और हिमाचल के मंडी जिला के प्रगतिशील किसान नेक राम शर्मा ने कृषि जैव विविधता को संरक्षित करने में प्राकृतिक खेती की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है। प्राकृतिक खेती को अपनाने में अपनी यात्रा साझा करते हुए शर्मा ने अपने प्रसिद्ध नौ अनाज 9 अनाज सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने युवा किसानों से प्राकृतिक खेती में अपनी खेती को बदलाव करने के दौरान धैर्य रखने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों और किसानों से स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण और वन पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आहवान किया। शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि हुए कि पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों की ओर बदलाव अब वैकल्पिक नहीं है -यह ग्रह के भविष्य के लिए अनिवार्य है।

नौणी विवि के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने बाजारों पर किसानों की निर्भरता कम करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने स्थानीय रूप से उपलब्ध, पर्यावरण के अनुकूल खेती के समाधानों के माध्यम से लाभ को अधिकतम करने और यह सुनिश्चित करने की वकालत की कि स्थानीय आबादी स्वस्थ, प्राकृतिक उपज का प्राथमिक लाभार्थी हो। प्रो. चंदेल ने प्राकृतिक खेती के लिए हिमाचल प्रदेश की 'सीतारा' प्रमाणन प्रणाली पर भी चर्चा की, जो किसानों के लिए लागत प्रभावी और आसान प्रमाणन प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे उन्हें बाजार में अपनी उपज बेचने में फायदा मिलता है। उन्होंने सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधकों और ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधकों के प्रयासों की भी सराहना की, जो मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले विविध इलाकों में प्राकृतिक खेती के मॉडल विकसित कर इस खेती को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में हिमाचल प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद दिया।

खेती विरासत मिशन के उमेंद्र दत्त ने रसायन मुक्त खेती के बारे में समाज को शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले किसानों को मान्यता देने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सरकार से प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए धीरे-धीरे फंडिंग बढ़ाने का आहवान किया, ताकि इसे व्यापक रूप से अपनाया जा सके। विस्तार शिक्षा के निदेशक और कार्यशाला समन्वयक डॉ. इंद्र देव ने बताया कि कार्यशाला ने हितधारकों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को समझने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच दिया । उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में मान्यता भी शामिल रही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी सहयोग कर रहा है और राज्य सरकार और नाबार्ड के समर्थन से क्षमता निर्माण के लिए चार किसान उत्पादक कंपनियों एफपीसी के साथ काम कर रहा है।

प्राकृतिक खेती में अग्रणी लोगों को सम्मानित किया गया कार्यक्रम के दौरान, कई प्रगतिशील किसानों को प्राकृतिक खेती में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्राकृतिक खेती करने वाली विभिन्न किसान उत्पादक कंपनियों की प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई, जिसमें इस दृष्टिकोण की सफलता और प्रभाव को प्रदर्शित किया गया।

दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें उन्नत प्राकृतिक खेती तकनीकों पर विशेषज्ञ प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ शामिल थीं। कवर किए गए विषयों में मृदा स्वास्थ्य सुधार, सिंथेटिक रसायनों के बिना कीट और रोग प्रबंधन, संसाधन अनुकूलन और लागत प्रभावी तरीके शामिल थे। इसके अतिरिक्त, किसानों को अपनी प्राकृतिक खेती प्रथाओं का विस्तार करने और व्यापक कृषि परिवर्तन में योगदान देने में मदद करने के लिए नीति एकीकरण, बाजार विकास और प्रमाणन प्रणालियों पर चर्चा की गई। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के वास्तविक जीवन के अनुभव साझा किए गए, जिसमें इसके आर्थिक और पारिस्थितिक लाभों को रेखांकित किया गया। इन सत्रों ने प्राकृतिक खेती मिशन के कार्यान्वयन ढांचे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें बीआरसी और प्रमाणन प्रक्रिया पर परामर्श शामिल थे।

इस कार्यक्रम ने प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद, ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे प्राकृतिक खेती प्रथाओं को बढ़ाने के लिए मंच तैयार हुआ। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती के विस्तार को दिशा देने के लिए एक संरचित राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया गया, साथ ही मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने और इसके सतत विकास को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उप-मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार तथा सामाजिक कार्य विभाग के विद्यार्थियों के एक समूह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भेंट की। विद्यार्थी विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए विधानसभा आए थे।

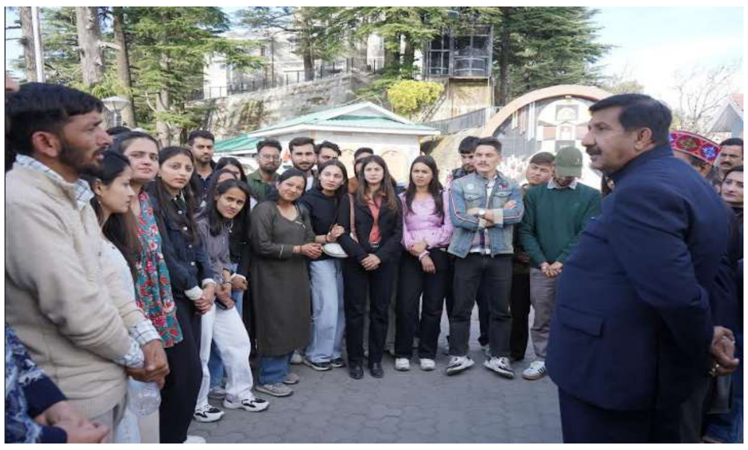

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने अपने पत्रकारिता के दिनों के अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार वह विधानसभा की कार्यवाही की रिपोर्टिंग किया करते थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने उनकी राजनीतिक यात्रा को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण एवं सार्वजनिक मामलों की गहरी समझ प्रदान की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ शिक्षा के स्तर को निरंतर ऊंचा उठाने के प्रयास कर रही है।

उन्होंने सुख शिक्षा योजना और डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया, जिनके तहत विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास भी कर रही है। उप-मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को परिश्रम करने और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ. शशि कांत शर्मा तथा सामाजिक कार्य विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनुपमा भारती भी उपस्थित रहीं।

नशा तस्करी के खिलाफ प्रदेश सरकार की निर्णायक कारवाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने नशीलें पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। यह राज्य सरकार की इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभियान के तहत एक सप्ताह के भीतर आठ आदतन अपराधियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पीआईटी -एनडीपीएस) के तहत हिरासत में लिया गया है।

पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गए यह अपराधी नूरपुर, सिरमौर, चंबा, बद्दी-बरोटीवाला -नालागढ़ (सोलन जिला) और कांगड़ा से संबंधित हैं जो बार-बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाये गये हैं। उन्होंने कहा कि पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अन्तर्गत की गई यह कड़ी कारवाई का उद्देश्य बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और राज्य में सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करना है।

मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ निर्णायक कारवाई करें। उन्होंने इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कानूनों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की हैं।

वर्तमान राज्य सरकार पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है और इसके अन्तर्गत निवारक हिरासत की कारवाई को सुदृढ़ किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी पहलुओं की निगरानी के लिए 23 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह अधिनियम पहली बार वर्ष 2024 में लागू किया गया था जिसके तहत चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। हाल ही में इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए अपराधियों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसके अलावा हिरासत में लिए गए अपराधियों की संपत्तियों की गहन जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कानूनी कारवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई जारी रखेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

केंद्र सरकार ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचित की चयन प्रक्रिया

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भरने के लिये तय प्रक्रिया के तहत अभी तक विज्ञापित नहीं कर पायी है। क्या सरकार केन्द्र द्वारा तय प्रक्रिया को नजरअन्दाज कर पायेगी? यह सवाल इसलिये उठने लगे हैं क्योंकि केन्द्र सरकार ने 25 नवम्बर 2024 को अधिसूचित एक अधिसूचना जारी करके राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में अध्यक्ष पद के लिये एक प्रक्रिया तय कर दी है। केन्द्र सरकार ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परामर्श के साथ राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्ष पद के नामांकन की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। इसमें पांच सदस्यों की एक कमेटी गठित की जायेगी जिसमें राज्य के मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इनके अतिरिक्त क्रामिक विभाग के सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि जो भारत सरकार के निदेशक के पद से अन्यून पद धारित करता हो सदस्य होगा। राज्य सरकार द्वारा नामित पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी सदस्य होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रभारी सचिव इस कमेटी का सदस्य सचिव होगा। यह पांच सदस्यों की कमेटी रिक्ति की तारीख से एक माह के भीतर और किसी अप्रत्याशित रिक्ति के छः माह के भीतर तीन नामों का पैनल सरकार को भेजेगी। इसके लिये तीन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जिनमें से एक स्थानीय भाषा में हो यह विज्ञापित करना होगा। इस तरह यह चयन प्रक्रिया रहेगी। पांच सदस्यों की कमेटी होगी और पद को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापित करना होगा। सदस्यों में एकमात्र सरकार का प्रतिनिधि होगा। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में आई एक टिप्पणी के बाद तय की गयी थी। हिमाचल में इस समय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष पद अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास है और इस नियुक्ति को तदर्थ माना जायेगा। नवम्बर 2024 में अधिसूचित भारत सरकार की यह अधिसूचना प्रदेश के पर्यावरण विभाग को शायद प्रेषित है। ऐसे में अभी तक इस संदर्भ में अध्यक्ष पद के लिये कोई भी विज्ञापन सरकार द्वारा जारी न किया जाना कई सवाल खड़े करता है। यह आशंका चर्चा में है कि शायद इस अधिसूचना को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया ही नहीं गया है। इस समय पर्यावरण और प्रदूषण अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का और चिंता का विषय बने हुये हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की इस अधिसूचित अधिसूचना के बाद भी इस पद को भरने के लिये कोई कदम न उठाया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है।

- पांच सदस्यों की होगी कमेटी
- तीन राष्ट्रीय समाचार पत्रें में जारी करना होगा इस आशय का विज्ञापन

यह है अधिसूचना

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2024

G.S.R.727(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 and subsection (9) of section 5, read with clause (aa) of sub-section (2) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government after consultations with the Central Pollution Control Board, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the State Pollution Control Board (Manner of Nomination and other Terms and Conditions of Service of Chairman) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. Definitions. (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(b) "Chairman" means the Chairman of the State Pollution Control Board;

(c) "Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee;

(c) "State Board" means the State Pollution Control Board constituted under section 4 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of nomination of Chairman.- (1)The nomination of the Chairman shall be made by the State Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of the following members, namely:-

(i) Chief Secretary of the State Government -- Chairperson;

(ii) Additional Chief Secretary or the Principal Secretary or the Secretary in charge of the Department of Personnel of the State Government- Member,

(iii) a representative of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change not below the rank of Director to the Government of India-Member

(iv) an expert in the field of environment to be nominated by the State Government - Member;

(v) Additional Chief Secretary or the Principal Secretary or the Secretary in charge of the Department of Environment of the State Government - Member Secretary.

(2) No selection of Chairman shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the committee.

(3) The State Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal; and six months before any anticipated vacancy, make a reference to the Selection Committee for filling up of the post.

(4) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendations.

(5) The Selection Committee shall make its recommendations and submit a panel of three suitable persons in alphabetical order to the State Government.

(6) The Selection Committee shall after inviting the applications from the candidates having special knowledge or practical experience as specified in section 4 of the Act through open advertisement published in at least three national newspapers, one of which shall be in Vernacular language, recommend a panel of three or more persons for selection of the Chairman, within three months from the date on which the reference is made to the Committee.

(7) The State Government may nominate the Chairman from amongst the panel of persons recommended by the Selection Committee.

8. Before recommending any person for appointment as a Chairman, the Selection Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interests, which is likely to affect prejudicially his functions as a Chairman.

(9) Any person holding the office of the Chairman on the date of commencement of these rules shall continue to hold such office till expiry of his term.

3A. The Selection Committee will consider the candidates having special knowledge or practical experience in respect of matters relating to environmental protection or a person having knowledge and experience in administering institutions dealing with the matters aforesaid, and make recommendation to the state Government accordingly.

4. Pay and allowances: The Chairman shall be entitled to receive a pay and other allowances as admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying Pay in Level-17 in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.

5. Other terms and conditions of service.-

(1) The Chairman shall be a person who shall not have any financial or other interests as are likely to affect prejudicially his functions as Chairman of the State Board;

(2) In case of a person as a Chairman, who retired from service under the Central Government or the State Government and he receives pension, if applicable, his pay as Chairman shall be reduced by gross amount of pension received by him.

(3) The Chairman ceasing to hold that office shall be ineligible for employment under the Central Government or any State Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office.

(4) The Chairman shall not, for a period of two years from the date on which he ceases to hold office, accept any employment, except in the field of academics.

(5) If the Chairman is not able to perform his duties temporarily due to illness, leave or such other causes, the State Government may assign the charge of Chairman to any member nominated under clause (b) of subsection (2) of section 4 of the Act.

(6) The other conditions of service of a chairman with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying Pay in Level-17 in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.

6. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Tenure of Chairman. (1) The Chairman shall hold office for a term not exceeding three years from the date on which he enters upon office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) Any person nominated as Chairman shall be eligible for nomination as Chairman for another term in accordance with these rules, subject to maximum age of sixty-five years.

8. Removal of Chairman:-(1) The State Government may, remove from office the Chairman on the following grounds of misconduct or incapacity, who-

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as the chairman; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the chairman; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public

(2) The Chairman shall not be removed under clauses (b) to (e) of sub-rule (1), unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

9. Subject to provisions of the Act and these rules, the Central Government may issue Standard OperatingProcedures for smooth implementation of these rules, if required.

[F. No. Q-15012/2/2022-CPW/e-179314)]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Sec

क्या सक्सेना सरकारी गवाह

.....पृष्ठ 8 का शेष

मानी जायेगी। इस सेवा विस्तार से ऐसी सारी संभावनाएं चर्चा में आ गयी हैं। क्योंकि अक्तूबर 2024 की भारत सरकार की अपनी अधिसूचना को नजरअन्दाज करके दिया गया यह सेवा विस्तार कुछ अलग ही इंगित करता है।

चर्चा है कि इस सेवा विस्तार के लिए प्रदेश के सांसद ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इस समय कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने के लिये यह सांसद बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। फिर जिस तरह से प्रदेश में ई.डी. का दखल हो चुका है उससे सरकार अपनी ही मजबूरी में घिर गयी है। यदि इन परिस्थितियों का राजनीतिक लाभ लेकर भाजपा कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा नुकसान पहुंचा पाये तो उसके लिये ऐसा सेवा विस्तार एक अच्छा प्रयास हो सकता है। क्योंकि चिदंबरम इस मामले में सहअभियुक्तों के खिलाफ केन्द्र द्वारा कोई कारवाई न करते हुये सीधे उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। चिदंबरम का आरोप है कि मंत्री तक तो फाइल अधिकारियों से होकर आती है। किसी भी मामले में गुण दोष मंत्री के संज्ञान में लाना अधिकारियों का काम है। मंत्री पर तो तब आरोप आयेगा यदि मंत्री ने अधिकारियों की अनुशंसा को नजरअन्दाज करके अलग फैसला दिया हो। अक्तूबर 2024 की अधिसूचना में यह कहा गया है कि अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दायर होने से चाहे उसकी स्टेज कोई भी हो उसे संवेदनशील पोस्टिंग और सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। जब केन्द्र ने अपनी ही इस अधिसूचना को नजरअन्दाज करके यह सेवा विस्तार दिया है तो उसके मायने निश्चित रूप से गंभीर होंगे।